



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 20 मई, 1976

वैशाख 30, 1898 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2289/17-वि-1--56-76

लखनऊ, 20 मई, 1976

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 17 मई, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1976)

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य में फल पौधशालाओं को लाइसेन्स देने और उनके विनियमन का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

2—इस अधिनियम में—

(क) “अपील प्राधिकारी” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन अपील सुनने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किये गये प्राधिकारी से है ;

(ख) “फल पौधशाला” का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है जहां प्रतिरोपण के लिए फल के पौधों का उत्पादन और विक्रय कारोबार के निधमित्त अनुक्रम में किया जाता हो, किन्तु उसके अन्तर्गत—

(i) 0.2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के फल पौधशाला नहीं है;

संक्षिप्त नाम
विस्तार और
प्रारम्भ

परिभाषायें

(ii) सरकार की या उसके द्वारा प्रबन्धित पौधशाला नहीं है ;

(ग) "फल के पौधे" का तात्पर्य किसी ऐसे पौधे से है जो खाने योग्य फल या गिरीदार फल उत्पादित कर सकते हैं, और उसके अन्तर्गत कुडन् काष्ठ, बीजांकुर उपरोपण, टब्बा, गुट्टी, बीज, कन्द, सकर, प्रकन्द [आंख वाली टहली, बीजू पौध, कलम बांधना, दाब डाली, गुट्टी बीज कन्द, अंकुर, प्रकन्द (राइजोम)] और ऐसे किसी पौधे की कलम भी हैं ;

(घ) "लाइसेंस" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन दिये गये लाइसेंस से है ;

(ङ) "लाइसेंसधारी" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त कोई लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति से है ;

(च) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य निदेशक, उद्यान एवं फल उद्योग, उत्तर प्रदेश से है तथा इसके अन्तर्गत निदेशक द्वारा उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी के किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ऐसे अधिकारी से भी है जो जिला उद्यान अधिकारी के पद से निम्न न हों ;

(छ) "स्वामी" का तात्पर्य किसी फल पौधशाला के संबंध में उस व्यक्ति या प्राधिकारी से है जिसका ऐसी फल पौधशाला के कार्य कलाप पर अंतिम नियंत्रण हो, और उसके अन्तर्गत ऐसी फल पौधशाला का प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध अभिकर्ता, या कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति भी है ;

(ज) "मूल वृत्त" का तात्पर्य किसी ऐसे फल के पौधे या उसके भाग से है जिस पर किसी फल के पौधे के किसी भाग के कलम या आंख लगायी जाती है ;

(झ) "उपरोपिका" का तात्पर्य किसी फल के पौधे के ऐसे भाग से है जो मूल वृत्त पर कलम या आंख के रूप में लगाया जाता है ;

फल पौधशाला
का कारोबार
चलाने पर
निर्बन्धन

3-- (1) कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक के पश्चात् या उस दिनांक से जब वह किसी फल पौधशाला का प्रथम बार स्वामी बनता है, उनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, तीनमाह की समाप्ति के पश्चात्, सिवाय इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत लाइसेंस के निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन और उनके अनुसार, फल पौधशाला का कारोबार संचालित नहीं करेगा और न उसे जारी रखेगा ।

(2) जहां एक व्यक्ति के स्वामित्व में एक से अधिक फल पौधशाला हो, चाहे एक ही नगर या ग्राम में या विभिन्न नगरों या ग्रामों में वहां ऐसी प्रत्येक फल पौधशाला के संबंध में अलग-अलग लाइसेंस दिये जायेंगे ।

लाइसेंस के
लिये आवेदन-पत्र

4-- (1) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र, लाइसेंस प्राधिकारी को विहित प्रपत्र में, और विहित फीस के साथ दिया जायेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेंस नहीं दिया जायेगा, यदि लाइसेंस प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि--

(क) वह फल पौधशाला ऐसे फल के पौधों के, जिनके सम्बन्ध में लाइसेंस दिये जाने के लिए आवेदन किया गया है, उचित उत्पादन के उपयुक्त नहीं है ;

(ख) आवेदक ऐसी फल पौधशाला को संचालित करने के लिए सक्षम नहीं है ;

(ग) आवेदन-पत्र के साथ विहित फीस नहीं दी गई है ;

(घ) आवेदक इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध-दोष हुआ है ।

लाइसेंस की
अवधि और
उसका नवीकरण

5-- (1) धारा 4 के अधीन दिया गया लाइसेंस ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा जो विहित की जाय और उसको इस निम्नित्त आवेदन-पत्र देने और विहित फीस देने पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है जो विहित की जाय ।

(2) इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई लाइसेंस नवीकृत नहीं किया जायगा, यदि लाइसेंस प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि :--

(क) धारा 4 की उपधारा (2) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है ;

(ख) लाइसेंसधारी ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या लाइसेंस के निबन्धनों और शर्तों के किसी उपबन्ध का जानबूझ कर उल्लंघन किया है ।

लाइसेंस का
निलम्बन और
रद्द किया जाना

6-- (1) इस अधिनियम के अधीन दिया गया लाइसेंस निलम्बित या रद्द किया जा सकता है, यदि लाइसेंस प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि :--

(क) धारा 5 की उपधारा (2) में उल्लिखित कोई आधार वर्तमान है ; या

(ख) लाइसेन्सधारी ने फल पौधशाला पर कब्जा या नियंत्रण पूर्णतः या अंशतः छोड़ दिया है या उसे चलाना बन्द कर दिया है।

(2) जहाँ कोई लाइसेन्स निलम्बित या रद्द किया जाय वहाँ लाइसेन्सधारी उसके लिए न तो किसी प्रतिकर का और न लाइसेन्स के लिए अपने द्वारा दी गई किसी फीस की वापसी का हकदार होगा।

7--(1) धारा 4 के अधीन लाइसेन्स देने से इन्कार करने का, या धारा 5 के अधीन लाइसेन्स का नवीकरण करने से इन्कार करने का, या धारा 6 के अधीन लाइसेन्स को निलम्बित या रद्द करने का प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा और उसमें उसके समर्थन में कारण दिये जायेंगे, और ऐसा प्रत्येक आदेश आवेदक या सम्बद्ध लाइसेन्सधारी को संसूचित किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आदेश देने के पूर्व लाइसेन्स प्राधिकारी, यथास्थिति आवेदक या लाइसेन्सधारी को सुनवाई का व्यक्ति-युक्त अवसर देगा।

8--जहाँ कोई लाइसेन्स खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्य प्रकार से अपठनीय हो जाय, वहाँ लाइसेन्स प्राधिकारी विहित रीति से और विहित फीस देने पर, लाइसेन्स को दूसरी प्रति जारी करेगा।

9--(1) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेन्स देने से इन्कार करने के, या धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उसे नवीकृत करने से इन्कार करने के, या धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन उसे निलम्बित या रद्द करने के लाइसेन्स प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है :

परन्तु अपील प्राधिकारी इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अत्रिधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाय कि अपीलार्थी अपील को समय पर पर्याप्त कारण-वश दायर नहीं कर सका था।

(2) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश देगा जिसे वह उचित समझे।

(3) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश, धारा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

10--(1) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या व्यक्ति व्यक्ति द्वारा आवेदन-पत्र देने पर, किसी भी समय, इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश की वैधता अथवा औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ, किसी मामले का अभिलेख मंगा सकती है और उसकी परीक्षा कर सकती है और उस पर ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे :

परन्तु राज्य सरकार, धारा 9 के अधीन किसी अपील के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी अपील के लिए निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति के पूर्व, इस धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी :

परन्तु यह और कि ऐसे मामले में, जिसमें राज्य सरकार स्वप्रेरणा से किसी मामले का अभिलेख मंगाती है, इस धारा के अधीन कोई आदेश, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब तक नहीं देगी, जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का व्यक्ति-युक्त अवसर न दिया गया हो।

(2) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश अन्तिम होगा।

11--प्रत्येक लाइसेन्सधारी--

(क) उत्पादन और विक्रय के लिए उपरोपिका या मूल वृन्त से सम्बन्धित, लाइसेन्स में विनिर्दिष्ट किस्मों में से केवल ऐसी किस्मों के ही फल के पौधे लगायेगा जैसा लाइसेन्स प्राधिकारी निर्देश दे;

(ख) प्रत्येक मूल वृन्त और प्रत्येक उपरोपिका के मूल या स्रोत का पूर्ण अभिलेख रखेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दी जायेंगी :--

(1) प्रयुक्त मूल वृन्त का वानस्पतिक नाम और स्थानीय नाम, यदि कोई हो;

(2) फल के पौधों को उगाने में प्रयुक्त उपरोपिका का वानस्पतिक नाम और स्थानीय नाम, यदि कोई हो;

(ग) फल के पौधों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त पौधशाला स्थल और पितृ वृक्ष को भी कोट, नाशिकीट और पौधों के रोगों से मुक्त रखेगा ;

(घ) फल के पौधे ऐसी रीति से तैयार करेगा जैसा लाइसेन्स प्राधिकारी निर्देश दें ;

आदेश म कारण दिये जायेंगे;

लाइसेन्स की दूसरी प्रति

अपील

राज्य सरकार की अभिलेख मंगाने की शक्ति]

लाइसेन्सधारी के कर्तव्य

(इ) विक्रय के लिए अभिप्रेत किसी पैकेज में अदेविष्टत प्रत्येक किस्म के फल के पौध का नाम और विहित रीति में, यथा अवधारित उसकी आयु, उसके लेबिल पर स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जायगी;

(च) विक्रय या वितरण के लिए केवल ऐसे फल के पौधे देगा जो किसी प्रकार के कीट, नाशिकीट या पौधों के रोग से पूर्णतया मुक्त हों।

लाइसेंसधारी लेखा
बही, रजिस्टर
आदि रखेगा

12--प्रत्येक लाइसेंसधारी ऐसे त्रपत्र में और ऐसी रीति से लेखाबही, रजिस्टर और अभिलेख रखेगा, जो विहित की जाय।

कतिपय फल के
पौधों का आयात
निर्यात या परि-
वहन को विनिय-
मित या प्रतिषिद्धि
करने की राज्य-
सरकार की शक्ति

13--राज्य सरकार, राज्य के किसी भाग में उगाये गये किसी फल के पौधे की विशेषता को बनाये रखने या हानिकारक कीट, नाशिकीट या पौधों के रोग से उनका संरक्षण करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, अज्ञात नसल (अभिजाति) के या किसी सांक्रामिक या सांसर्गिक नाशिकीट या रोग से प्रभावित किन्हीं फल के पौधों को राज्य या उसके किसी भाग में लाने या उसके बाहर ले जाने, या राज्य के भीतर उनका परिवहन करने को विनियमित या प्रतिषिद्धि कर सकती है।

शास्ति

14--जो कोई भी अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध-दोष होने पर जुर्माने से, जो रु 5,000 तक हो सकता है, अथवा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकती है, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा
अपराध

15--(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार कार्य-वाही किए जाने और दण्ड दिए जाने का भागी होगा।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिये सभी सम्बन्ध तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अधिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मीनानुकूलता से किया गया या उपेक्षान्वित है तो वह प्रबन्ध अधिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिये दोषी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनार्थ :--

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराधों का
संज्ञान

16--इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए, सिवाय लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी शिकायत पर, कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायगा।

लाइसेंस प्राधि-
कारी की शक्ति

17--लाइसेंस प्राधिकारी:--

(क) किसी लाइसेंसधारी से उसके स्वामित्व में या उसके द्वारा चलाई जा रही फल पौधशाला के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिसे वह विनिर्दिष्ट करे;

(ख) अपना यह समाधान करने के लिये कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है, किसी फल पौधशाला में प्रवेश कर सकता है और उसका और उसमें स्थित फल के पौधों का और उससे सम्बन्धित लेखा-बही और अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है या करा सकता है;

(ग) फल के पौधों का नमूना ले सकता है और उनका विश्लेषण, परीक्षण या जांच इस प्रयोजन के लिये निश्चित की गई किसी प्रयोगशाला में करा सकता है।

सद्भाव से किये
गये कार्य का
संरक्षण

18--(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भाव से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विकर कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकेगी।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भाव से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी बात से हुई या सम्भावित क्षति के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

19—इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी शक्ति के प्रयोग में दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

आदेश विषयक
अपवाद

20—लाइसेंस प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में नीति सम्बन्धी विषयों पर राज्य सरकार के ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर जारी करे।

राज्य सरकार
द्वारा निदेश

21—इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस विहित करने के लिए कोई नियम भी है।

नियम

No. 2289/XVII-V-1—56-1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Fal Paudhshala (Viniyaman) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 17, 1976:

THE UTTAR PRADESH FRUIT NURSERIES (REGULATION) ACT, 1976

(U. P. ACT NO. 21 OF 1976)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the licensing and regulation of fruit nurseries in the State of Uttar Pradesh.

It is HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Fruit Nurseries (Regulation) Act, 1976.

Short title, extent and commencement.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, and different dates may be appointed for different areas of Uttar Pradesh.

2. In this Act—

Definitions.

(a) "Appellate Authority" means the authority appointed by the State Government by notification to hear appeals under this Act;

(b) "fruit nursery" means any place where fruit plants are, in the regular course of business, propagated and sold for transplantation, but does not include—

(i) a fruit nursery having an area less than 0.2 hectare;

(ii) fruit nursery belonging to or managed by the Government;

(c) "fruit plant" means any plant, which can produce edible fruits or nuts, and includes budwood, seedlings, grafts, layers, gootee, seeds bulbs, suckers, rhizomes and cuttings of any such plant;

(d) "licence" means a licence granted under this Act;

(e) "licensee" means any person holding a licence for the time being in force;

(f) 'Licensing Authority' means the Director of Horticulture and Fruit Utilization, Uttar Pradesh and includes any other Officer not below the rank of a District Horticulture Officer, empowered by the Director in this behalf, to exercise some or all of the powers of the Licensing Authority under this Act.

(g) "owner", in relation to a fruit nursery, means the person who, or the authority which, has the ultimate control over the affairs of such fruit nursery, and includes a manager, managing director, managing agent, or any other person incharge of such fruit nursery;

(h) "rootstock" means a fruit plant or part thereof on which any portion of a fruit plant has been grafted or budded;

(i) "scion" means a portion of a fruit plant which is grafted or budded on to a rootstock.

Restrictions on carrying on the business of fruit nursery.

3. (1) No person shall, after the expiry of three months from the date of commencement of this Act or from the date on which he first becomes owner of a fruit nursery, whichever is later, conduct or carry on the business of fruit nursery, except under and in accordance with the terms and conditions of a licence granted under this Act.

(2) Where more than one fruit nursery is owned by one person, whether in the same town or village or in different towns or villages, separate licences shall be granted in respect of each such fruit nursery.

Application for licence.

4. (1) Every application for a licence under this Act shall be made in the prescribed form to the Licensing Authority and shall be accompanied by the prescribed fee.

(2) No licence under this Act shall be granted, if it appears to the Licensing Authority that—

(a) the fruit nursery is not suitable for the proper propagation of the fruit plants, in respect of which licence has been applied for;

(b) the applicant is not competent to conduct such a fruit nursery;

(c) the application is not accompanied by the prescribed fee;

(d) the applicant has been convicted of any offence under this Act, or the rules made thereunder.

Terms and renewal of licence.

5. (1) A licence granted under section 4 shall be valid for such period, as may be prescribed, and on application made in that behalf and upon payment of the prescribed fees, be renewed, from time to time, by the Licensing Authority for such further period as may be prescribed.

(2) No licence granted under this Act shall be renewed if it appears to the Licensing Authority that—

(a) any of the grounds mentioned in sub-section (2) of section 4 exists;

(b) the licensee has wilfully committed a breach of the provisions of this Act or the rules made thereunder or any of the terms and conditions of the licence.

Suspension and cancellation of a licence.

6. (1) A licence granted under this Act may be suspended or cancelled, if it appears to the Licensing Authority that—

(a) any of the grounds mentioned in sub-section (2) of section 5 exists; or

(b) the licensee has parted wholly or partly with the possession or control of the fruit nursery or that he has ceased to run it.

(2) Where any licence is suspended or cancelled, the licensee shall not be entitled to any compensation therefor nor he shall be entitled to any refund of any fee paid by him for the licence.

Orders to contain reasons.

7. (1) Every order refusing to grant the licence under section 4, or refusing to renew the licence under section 5, or suspending or cancelling the licence under section 6 shall be in writing and shall contain the reasons in

support thereof, and every such order shall be communicated to the applicant or the licensee concerned.

(2) Before making an order referred to in sub-section (1) the Licensing Authority shall give to the applicant or the licensee, as the case may be, a reasonable opportunity of being heard.

8. Where a licence is lost, destroyed, torn, defaced, or otherwise becomes illegible, the Licensing Authority shall, in the manner prescribed and on payment of the prescribed fee, issue a duplicate licence. Duplicate licence.

9. (1) Any person aggrieved by an order of the Licensing Authority refusing to grant a licence under sub-section (2) of section 4, or refusing to renew it under sub-section (2) of section 5 or suspending or cancelling it under sub-section (1) of section 6, may appeal to the Appellate Authority within thirty days from the date of communication of such order : Appeals.

Provided that, the Appellate Authority may entertain the appeal after expiry of the period specified in this sub-section, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) The appellate authority shall, after giving the appellant an opportunity of being heard, pass such order on the appeal as it thinks fit.

(3) An order passed under this section shall, subject to the provisions of section 10 be final.

10. (1) The State Government may of its own motion or on an application from an aggrieved person may, at any time, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed under this Act, call for and examine the record of any case and pass such orders thereon as it deems fit : Power of the State Government to call for records.

Provided that, the State Government shall not exercise power under this section during the pendency of an appeal under section 9 or before expiry of the time limit for such appeal :

Provided further that in a case where the State Government calls for the record of any case of its own motion, it shall not pass any order under this section which adversely affects any person, unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) An order passed under this section shall be final.

11. Every licensee shall—

(a) employ only such varieties of the fruit plants, specified in the licence, in respect of scion or rootstock, for propagation and sale, as may be directed by the Licensing Authority ;

(b) keep a complete record of the origin or source of every rootstock and every scion showing—

(i) the botanical name, together with the local name, if any, of the rootstock used ;

(ii) the botanical name, together with the local name, if any, of the scion used, in raising the fruit plants ;

(c) keep the nursery plots as well as the parent trees used for the propagation of fruit plants free from insects, pests and plant diseases ;

(d) prepare the fruit plants in such manner as may be directed by the Licensing Authority ;

(e) specify in a conspicuous manner on a label the name of every variety of fruit plant enclosed in any package intended for sale and its age as determined in the prescribed manner ;

(f) release for sale or distribution only such fruit plants as are completely free from any kind of insects, pests or plant disease.

12. Every licensee shall maintain account books, registers and records in such form and manner as may be prescribed. Licensee to maintain account books, registers etc.

13. The State Government may, for the purpose of maintaining the quality of any fruit plants grown in any part of the State or to protect them from injurious insects, pests or plant diseases, by notification, regulate or prohibit, subject to such restrictions and conditions as it may specify, the bringing into or taking out of the State or any part thereof, or the transport within the State, of any fruit plants of unknown pedigree or affected by any infectious or contagious pests or diseases. Power of the State Government to regulate or prohibit import, export or transport of certain fruit plants.

- Penalty.
14. Whoever contravenes any provision of this Act or the rules made thereunder shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to Rs.5,000 or imprisonment which may extend to six months or with both.
- Offences by companies.
15. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person incharge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:
- Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, any managing agent, secretary, treasurer, director, manager or other officer of the company, such managing agent, secretary, treasurer, director, manager or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.
- Explanation*—For the purposes of this section—
- (a) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals, and
- (b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.
- Cognizance of offence.
16. No prosecution for an offence punishable under this Act shall be instituted except on a complaint authorised by the Licensing Authority.
- Power of Licensing Authority.
17. The Licensing Authority may—
- (a) require any licensee to furnish such information as it may specify in respect of the fruit nursery owned or run by such licensee;
- (b) enter upon and inspect or cause to be inspected any fruit nursery and fruit plants therein and the account books and records relating thereto for the purpose of satisfying itself that the requirements of this Act and the rules made thereunder are being complied with;
- (c) collect samples of fruit plants and get them analysed, examined or tested in any laboratory selected for the purpose.
- Protection of act in good faith.
18. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.
- (2) No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.
- Savings as to orders.
19. No order made in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any Court.
- Directions by State Government.
20. In the discharge of his duties under this Act the Licensing Authority shall carry out such directions of the State Government on matters of policy as may be issued by the State Government from time to time.
- Rules.
21. The State Government may by notification make rules for carrying out the purposes of this Act, including any rules prescribing fees in respect of any proceedings under this Act.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोदल,
सचिव।